Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम गंगापुर

1. मांगी पिता किशना गाडरी निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, हाल निवासी खरीतडा जिला चितौड़गढ़ राजस्थान।

प्रार्थीया

<u>बनाम</u>

1. किशना पिता मियाराम जाति गाडरी निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः श्री मृदुल तिवारी
अधिवक्ता विपक्षीः— श्री रितेश सुराणा
पेरोकार सरकार

किस्म मुकदमा :—प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 212 एल0आर0एक्ट , मु. नं. 45/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2021	प्रार्थना पत्र बाद जांच सीगे से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। जिस पर एक पक्षीय अंतरीम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.03.2021 को जारी की गई। प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि **परिशिष्ठ "क"** के अनुसार ग्राम गुढ़ा खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बेरून हलका आबादी में आराजी संख्या 573 रकबा 1.0600 हे0, आराजी संख्या 574 रकबा 0.6000 हे0, आराजी संख्या 575 रकबा 0.3800 हे0 आराजी संख्या 576 रकबा 0.4500 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.4900 भूमि राजस्व खाता संख्या नवीन 153 व साविक 145 पर स्थित। इसी प्रकार **परिशिष्ठ "ख"** के अनुसार ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बेरून हलका आबादी में आराजी संख्या 943 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 944 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 945 रकबा 0.01 हे0 आराजी संख्या 946 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 947 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 948 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 949 रकबा 0.12 हे0, आराजी संख्या 950 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 951 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 952 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 10 रकबा 1.18 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या नवीन 186 व साबिक 195 पर स्थित है जिसके लिए जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की संलग्न है।	

उक्तानुसार परिशिष्ठ क कि सम्पूर्ण आराजियात पर प्रतिवादी का 1/4 वा हिस्सा एवं परिशिष्ठ ख कि सम्पूर्ण आराजियातों पर प्रतिवादी का 1/16 वा हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के हिस्सेदारों का वर्गीकरण निम्न सजरे के प्रस्तुत हैः—

मियाराम (फौत)
I
I———————I———————————I—————————————I
रायचंद्र   कालू   किशन   बंशी
I
I——————————I
चांदी (पत्नि)   नानी (पत्नि)
I
मांगी (पुत्री)

यह कि प्रतिवादी संख्या एक प्रार्थीया का रिश्ते से पिता होता है व मियाराम उसके दादाजी होते है। विपक्षी संख्या एक के नाम कलम संख्या एक में वर्णित भूमियां जरिये विरासत से प्राप्त होने से उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया है। किन्तु प्रतिवादी उक्त तथ्य का गलत उपयोग ले रहा है व उक्त भूमियों में उनके हिस्से को गलत तरह से, बिना हमारी सहमती के विक्रय करने को प्रयत्न कर रहा है। जो कि पूर्णतया गलत व मुझ प्रार्थीया के अधिकारों के विपरीत होकर के सर्वथा अस्वीकार्य है, चूंकि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उक्त वर्णित भूमियां मुझ प्रार्थीया के दादाजी के जरिये विरासत विपक्षी संख्या एक के नाम हस्तान्तरित हुई है अथवा उनके नाम दर्ज हिस्से में से विधि के अनुसार मुझ प्रार्थीया का 1/2 हिस्से पर अधिकार बनता है व 1/2 वें हिस्से कि मै अधिकारीणी होकर उसे प्राप्त करने की हकदार हुँ।

यह कि अगर विपक्षीगण उक्त भूमि में से प्रार्थीया का अपने हिस्से से आधिपत्य हटा देते है तो प्रार्थी को अपुर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है इसके मुकाबले विपक्षीगण को कोई क्षति नहीं होगी तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है व प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रमाणित है जिससे न्यायहित में ताफैसला मूलवाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि **परिशिष्ठ "क"** के अनुसार ग्राम गुढ़ा खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बेरून हलका आबादी में आराजी संख्या 573 रकबा 1.0600 हे0, आराजी संख्या 574 रकबा 0.6000 हे0, आराजी संख्या 575 रकबा 0.3800 हे0 आराजी संख्या 576 रकबा 0.4500 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.4900 भूमि राजस्व खाता संख्या नवीन 153 व साबिक 145 पर स्थित। इसी प्रकार **परिशिष्ठ "ख"** के अनुसार ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बेरून हलका आबादी में आराजी संख्या 943 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 944 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 945 रकबा 0.01 हे0 आराजी संख्या 946 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 947 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 948 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 949 रकबा 0.12 हे0, आराजी संख्या 950 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 951 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 952 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 10 रकबा 1.18 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या नवीन 186 व साबिक 195 पर स्थित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही करें, प्रार्थीया के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें व भूमि किसी को भी विक्रय ना करें अंतरित ना करें, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावें।

दिनांक 26.07.2021 को वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकिल विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश जिसकी प्रति प्रार्थीया अधिवक्ता को दिलवाई गई। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकिल विपक्षी ने दौराने बहस जवाब को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को गलत, मिथ्या एवं झूठा बताते हुए अस्वीकार किया तथा मजिद कथन किया कि प्रार्थीया विपक्षी के शुन्य विवाह से उत्पन्न संतान है जिसका मौरूसी सम्पतियों में कोई हक अधिकार नहीं बनता है। विपक्षी ने प्रार्थीया का विधिवत तरीके से विवाह करवा दिया है और वह अपने ससुराल में निवास करती है जिसका वाद वर्णित भूमियों पर हक अधिकार एवं कब्जा काश्त एवं दखल नहीं है लेकिन उसने विपक्षी को नाजायज संग, परेशान व जलील करने की नियत से यह मिथ्या, झूठा, गलत एवं विधि विरूद्ध प्रार्थना विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो कानुनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये –

1. 2010 (60) SRJ 573 Suprem Court Of India B.S. Chauhan& Anr. Vs Swatanter Kumar,JJ. Civil Appeal No. 7108 of 2003 Bharatha Matha & Anr. Vs R.Vijaya Renganathan & Ors. Decided on 17-05-2010
2. 2011 (6) SRJ 115 Suprem Court Of India G.S. Singjhvi & Ashok Kumar Ganguly,JJ. Revanasiddappa & Anr. Vs Mallikarjum & Ors. Decided on 31-03-2011

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत , बेबुनियाद एवं आधारहीन व झूठे तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा

फरमाया जावें।
वकिल प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र को दोहराया एवं उक्त प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये –

1- Suprem Court Of India 2008
Vidh\yadhari & Ors Vs Sukhrana Bai & ors on 22 january 2008
2- 2011 (6) SRJ 115 Suprem Court Of India
G.S. Singjhvi & Ashok Kumar Ganguly,JJ. Revanasiddappa & Anr. Vs Mallikarjum & Ors. Decided on 31-03-2011

उक्तानुसार न्यायिक दृष्टांतो का हवाला देते हुए प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन किया अवलोकन पर प्रतीत होता हैं कि न्यायिक दृष्टांत नं 02 2011 (6) SRJ 115 Suprem Court Of India G.S. Singjhvi & Ashok Kumar Ganguly,JJ. Revanasiddappa & Anr. Vs Mallikarjum & Ors. Decided on 31-03-2011
उक्त दृष्टांत दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं द्वारा पेश किया है जिसकी फाइनल फाइंडिग नहीं देकर मेटर Higher Bench में निर्देश हेतु भिजवा रखा है। जिस पर अबतक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ हैं जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत लागु नहीं होता है।
मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस तथा न्यायिक दृष्टांतो पर मनन किया। अरथाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार हैः–

प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थी स्वयं मानती हैं कि वह विपक्षी की द्वितीय पत्नि की पुत्री है और विपक्षी का उसकी प्रथम पत्नि चांदी से अबतक कोई तलाक –विवाह विच्छेद सामाजिक एवं न्यायिक तौर पर नहीं हुआ है। और प्रार्थीया की माता नानी विपक्षी की प्रथम पत्नि के जीवन काल में ही विना विवाह विच्छेद के साथ रह रही है। इस प्रकार हिन्द विधि अनुसार द्वितीय पत्नि नानी के साथ विपक्षी का विवाह शून्य है। और शून्य विवाह से उत्पन्न संतान को पैतृक /मौरूसी सम्पतियों में कोई हक अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं है ऐसी संतान केवल विधि अनुसार अपने माता पिता की स्व अर्जित सम्पतियों में हक हिस्सा रखती है। प्रार्थीया द्वारा इस प्रार्थना पत्र में विपक्षी की मौरूसी सम्पतियों में से हिस्से की घोषणा के साथ स्थगन चाहा है। इस संबंध में दोनों पक्षो द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से पैतृक /मौरूसी सम्पत्तियों में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा विधि अनुसार बनना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार प्रार्थीया अपना प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित कराने में पूर्णतया असफल रही है। जिससे उक्त विन्दु विरूद्ध एवं विपक्षी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि प्रार्थीया अपना प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित कराने में पूणतया असफल रही है। तथा प्रार्थीया को ऐसी कोई असुविधा हो रही हो वह भी प्रमाणित नहीं करवा पाई है। जिससे सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होने से उक्त बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– उक्तानुसार दोनों विन्दु प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित होने से प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अतः केवल मात्र कल्पना के आधार पर अपूरणीय क्षति का आंकलन नहीं किया जा सकता है।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ...पुर जिला भीलवाड़ा

अतः उक्त तीनों अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु साबित नहीं होने से प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

—::आदेश::—

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश दिनांक 26.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर